



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072024-255308
CG-DL-E-10072024-255308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946

No. 350]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 373(अ).—दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ढ), (ण), (त), (थ), (द) और (ध) के साथ पठित, धारा 17 की उप-धाराओं (1) और (2) के साथ पठित, धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 12 की उप-धारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई, आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है;

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर विचार किया जाएगा।

अध्याय 1: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —

- (1) इन नियमों को दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं —

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
 - (ख) "कॉमन डक्ट्स अथवा कोंडुइट्स अथवा केबल कॉरिडोर" से अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से दूरसंचार लाइनों सहित यूटिलिटी लाइनों को रखने के लिए किसी भी आकार और आकृति की कोई लिनियर अवसंरचना अभिप्रेत है;
 - (ग) "नामित अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;
 - (घ) "डक्ट" से स्थायी रूप से ल्यूब्रिकेट की गई अथवा किसी अन्य प्रकार की पाइप अभिप्रेत है जिसका उपयोग दूरसंचार लाइन के लिए भूमिगत केबल कोंडुइट के रूप में किया जाता है;
 - (ङ) "मोबाइल टावर" से दूरसंचार नेटवर्क को ले जाने, निलंबित करने अथवा समर्थन करने के लिए कोई भी जमीन के ऊपर का साधन अभिप्रेत है और इसमें पोल शामिल नहीं है;
 - (च) "ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क" से जमीन के ऊपर स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के हिस्से अभिप्रेत हैं और इसमें दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना अथवा अनुरक्षण के उद्देश्य से पोस्ट, मोबाइल टावर, दूरसंचार लाइन अथवा जमीन के ऊपर के अन्य साधन, उपकरण और तंत्र शामिल हैं;
 - (छ) "पोल" से दूरसंचार लाइन को ले जाने, निलंबित करने अथवा समर्थन करने के लिए आठ मीटर तक की ऊंचाई का कोई भी जमीन के ऊपर का साधन अभिप्रेत है और इसमें मोबाइल टावर शामिल नहीं है;
 - (ज) "पोर्टल" से इन नियमों के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वेब अथवा मोबाइल पोर्टल अभिप्रेत है;
 - (झ) "नियम" से दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 अभिप्रेत है;
 - (ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से जुड़ी अनुसूची अभिप्रेत है;
 - (ट) "स्मॉल सेल" से कम शक्ति वाला सेलुलर रेडियो एक्सेस नोड अभिप्रेत है जिसकी कवरेज दस मीटर से दो किलोमीटर तक है;
 - (ठ) "स्ट्रीट फर्नीचर" से बिजली के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी पोस्ट अथवा पोल, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक साइन, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्ति, यूटिलिटी पोल अथवा सार्वजनिक संस्था की संपत्ति पर स्थापित इस तरह की कोई अन्य संरचना अथवा साधन अभिप्रेत है;

(ड) "दूरसंचार लाइन" से दूरसंचार के प्रयोजन से उपयोग किया जाने वाला कोई तार अथवा तारें, अथवा ऑप्टिकल फाइबर, जिसके चारों ओर कोई आवरण, कोटिंग, ट्यूब अथवा पाइप हो, और उसे ठीक करने अथवा इन्सुलेट करने के उद्देश्य से उससे जुड़े कोई भी उपकरण और यंत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क" से भूमि के नीचे बिछाए गए दूरसंचार नेटवर्क के भाग अभिप्रेत हैं और इसमें दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना अथवा अनुरक्षण के प्रयोजनों के लिए डक्ट्स, मैनहोल, मार्कर स्टोन, हैंडहोल, दूरसंचार लाइन, उपकरण और यंत्र शामिल हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है।

3. कार्यक्षेत्र —

(1) ये नियम दूरसंचार नेटवर्क के लिए मार्ग के अधिकार की अनुमतियों पर लागू होते हैं।

(2) कोई भी संस्था दूरसंचार नेटवर्क के लिए मार्ग के अधिकार की मांग करने वाले किसी भी सुविधा प्रदाता द्वारा किए गए आवेदन पर इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(3) इन नियमों के तहत सभी आवेदन, अधिसूचनाएं, स्पष्टीकरण, अनुमतियां, आपत्तियां अथवा अस्वीकृतियां, इन नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा तक पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी।

4. सार्वजनिक संस्था नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी —

प्रत्येक सार्वजनिक संस्था इन नियमों को अधिसूचित किए जाने के तीस कैलेंडर दिवसों के भीतर पोर्टल पर उस अधिकारी (पदनाम से) को अधिसूचित करेगी जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिए नोडल बिंदु होगा। ऐसे अधिकारी के किसी प्रतिस्थापन को भी पोर्टल पर तुरंत अधिसूचित किया जाएगा।

5. अनुमति की वैधता —

इन नियमों के तहत मार्ग के अधिकार के लिए किसी सुविधा प्रदाता को दी गई अनुमति अंतर्निहित दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकार की अवधि के साथ समाप्त होगी, जब तक कि ऐसी अनुमति इन नियमों के अनुसार समाप्त नहीं हो जाती।

अध्याय 2: सार्वजनिक संपत्ति में भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना और अनुरक्षण

6. सुविधा प्रदाता द्वारा आवेदन —

(1) भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक संपत्ति में मार्ग का अधिकार मांगने वाला सुविधा प्रदाता, पोर्टल के माध्यम से, संबंधित सार्वजनिक संस्था को, जिसके पास ऐसी सार्वजनिक संपत्ति का स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबंधन है, उप-नियम (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट दस्तावेजों द्वारा समर्थित तथा उस सार्वजनिक संस्था द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और प्रणाली से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन में सुविधा प्रदाता द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सूचना में सहायक दस्तावेज शामिल होंगे-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकार की प्रति;

(ख) बिछाए जाने वाले प्रस्तावित भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क का ब्यौरा;

(ग) यदि मार्ग का अधिकार विद्यमान दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित है तो दूरसंचार नेटवर्क के निर्मित रेखाचित्रों की प्रति लगाएं;

- (घ) कार्य के निष्पादन की विधि और अनुमानित अवधि का ब्यौरा;
- (ङ) उस दिन के समय का ब्यौरा जब कार्य किए जाने की अपेक्षा है, यदि सुविधा प्रदाता को दिन के विशिष्ट समय के दौरान कार्य किए जाने की अपेक्षा है;
- (च) उन व्ययों का ब्यौरा जो सुविधा प्रदाता द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप ऐसी सार्वजनिक इकाई को आवश्यक रूप से उठाना पड़ेगा;
- (छ) सर्वसाधारण को होने वाली असुविधा का ब्यौरा और ऐसी असुविधा को कम करने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उपाय;
- (ज) कार्य के निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उपायों का ब्यौरा;
- (झ) आवेदन के संबंध में पत्राचार के प्रयोजनों के लिए सुविधा प्रदाता के कर्मचारियों के नाम और संपर्क विवरण;
- (ञ) सुविधा प्रदाता की राय में, प्रस्तावित कार्य से संबंधित अथवा उससे संबंधित, प्रासंगिक किसी अन्य मामले का विवरण; और
- (ट) कार्य से संबंधित अथवा उससे संबंधित किसी अन्य मामले का विवरण, जिसे सार्वजनिक संस्था द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाए।
- (3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ सार्वजनिक संस्था द्वारा अपने प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए अधिसूचित शुल्क संलग्न किया जाएगा, जो राशि इन नियमों की अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी।

7. सार्वजनिक संस्था द्वारा अनुमति प्रदान करना —

(1) नियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन की जांच करने पर, सार्वजनिक संस्था:

(क) ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस कैलेंडर दिवसों के भीतर, पोर्टल के माध्यम से स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है, जैसा कि अपेक्षित हो:

बशर्ते सार्वजनिक संस्था ऐसे सभी स्पष्टीकरण और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, एक समेकित मांग पत्र में मांगेगी;

(ख) आवेदन प्राप्त होने के सड़सठ कैलेंडर दिवसों के भीतर अनुमति प्रदान करेगी।

(2) सार्वजनिक संस्था द्वारा दी गई अनुमति में:

(क) यह सुनिश्चित करना कि भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क का क्षेत्र (क्रॉस-सेक्शन) जिसके लिए मार्ग का अधिकार प्रदान किया गया है, डक्ट की लंबाई गुणन डक्ट के व्यास तथा डक्ट की संख्या गुणन के बराबर होगा;

(ख) यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या अनुमति उप-नियम (10) के साथ पठित उप-नियम (9) के उप-खंड (क) के अधीन संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए वचनबद्धता और बैंक गारंटी, अथवा उप-नियम (9) के उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा के अधीन है;

(ग) सार्वजनिक असुविधा को कम करने अथवा सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समय और उपाय, मार्ग के अधिकार के निष्पादन का तरीका और इस प्रकार स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के अनुरक्षण सहित अन्य शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा:

- बशर्ते सार्वजनिक संस्था नियम (6) के उप-नियम (2) के अधीन सुविधा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट निष्पादन के तरीके पर उचित विचार करेगी।
- (3) यदि सार्वजनिक संस्था को लगता है कि उसके पास मार्ग के अधिकार की अनुमति को अस्वीकार करने के कारण हैं, तो वह आवेदन प्राप्त होने के पैंतालीस कैलेंडर दिवसों के भीतर पोर्टल पर ऐसे कारण अपलोड करेगी और सुविधा प्रदाता ऐसे कारणों पर पंद्रह कैलेंडर दिवसों के भीतर प्रतिक्रिया देगा।
- (4) सार्वजनिक संस्था उप-नियम (3) के अधीन सुविधा प्रदाता के उत्तर, यदि कोई हो, पर सम्यक् विचार करने के पश्चात सात कैलेंडर दिवसों की अवधि के भीतर मार्ग के अधिकार के लिए आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लेगी और इस निर्णय को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- (5) मार्ग के अधिकार की अनुमति को अस्वीकार करने वाले किसी भी निर्णय में अस्वीकृति के कारणों को दर्ज किया जाएगा;
- (6) सार्वजनिक संस्था द्वारा अनुमति को अस्वीकार किए जाने पर सार्वजनिक संस्था नियम 6 के उप-नियम (3) के अधीन भुगतान किए गए शुल्क का अस्सी प्रतिशत अस्वीकृति की ऐसी तिथि से पंद्रह कैलेंडर दिवसों की अवधि के भीतर सुविधा प्रदाता को वापस करेगी।
- (7) यदि सार्वजनिक संस्था इस नियम के तहत निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अनुमति देने अथवा अस्वीकार करने में विफल रहती है, तो अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी, और पोर्टल पर स्वचालित रूप से अपलोड हो जाएगी।
- (8) उप-नियम (7) के तहत प्रदान की गई अनुमति के मामलों में, सार्वजनिक संस्था सात कैलेंडर दिवसों की अवधि के भीतर पोर्टल के माध्यम से ऐसी प्रदान की गई अनुमति के निबंधन और शर्तें तैयार करेगी।
- (9) मार्ग के अधिकार से संबंधित कार्यों के परिणामस्वरूप संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए, सुविधा प्रदाता, सार्वजनिक संस्था के विकल्प पर:
- (क) ऐसी संपत्ति की उस स्थिति में पुनर्स्थापना करेगा, जैसी वह ऐसे कार्यकलापों के निष्पादन से पहले मौजूद थी; अथवा
- (ख) पारस्परिक सहमति से ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान करें जो अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक न हो।
- (10) सार्वजनिक संस्था उप-नियम (9) के उप-खंड (क) के अंतर्गत सुविधा प्रदाता द्वारा उन मामलों में संपत्ति के पुनर्स्थापन की मांग कर सकती है जहां अनुमति प्रदान की गई है, बशर्ते कि:
- (क) पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में विनिर्दिष्ट वचनबद्धता का प्रावधान; और
- (ख) सुविधा प्रदाता द्वारा अनुमति में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य के निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट राशि से अनधिक राशि की बैंक गारंटी।
- (11) सुविधा प्रदाता द्वारा पोर्टल के माध्यम से लिखित रूप में प्रमाणित ऐसे पुनर्स्थापन कार्य के पूरा होने पर सार्वजनिक संस्था उप-नियम (10) के उप-पैरा (ख) के अंतर्गत प्रदान की गई बैंक गारंटी सुविधा प्रदाता को तीस कार्य दिवसों के भीतर वापस करेगी।
- (12) सार्वजनिक संस्था इन नियमों के अन्तर्गत अनुमत शुल्कों के अतिरिक्त भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए किसी भी रूप में कोई शुल्क, मुआवजा या कोई अन्य वित्तीय अंशदान नहीं लेगी।

अध्याय 3: सार्वजनिक संपत्ति में ओवरग्राउन्ड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना और रखरखाव

8. सुविधा प्रदाता द्वारा आवेदन.-

(1) भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक संपत्ति में मार्ग का अधिकार मांगने वाला सुविधा प्रदाता, पोर्टल के माध्यम से, संबंधित सार्वजनिक संस्था को, जिसके पास ऐसी सार्वजनिक संपत्ति का स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबंधन है, उप-नियम (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट दस्तावेजों द्वारा समर्थित तथा उस सार्वजनिक संस्था द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और प्रणाली से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन में सुविधा प्रदाता द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सूचना में सहायक दस्तावेज शामिल होंगे-

- (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकार की प्रति;
- (ख) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पोस्ट, मोबाइल टावर या अन्य भूमिगत साधनों की प्रकृति और सही अक्षांश और देशांतर सहित स्थान का विवरण;
- (ग) भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि या फर्श क्षेत्र की सीमा का विवरण;
- (घ) जहां लागू हो, ओवरग्राउन्ड दूरसंचार लाइन के लिए मार्ग योजना का विवरण;
- (ङ) भवन या संरचना का विवरण जहां ओवरग्राउन्ड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना प्रस्तावित है;
- (च) रेडियो तरंगों या हर्ट्जियन तरंगों के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित भूमि के ऊपर साधनों के स्थान के लिए केंद्र सरकार के विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन की प्रति;
- (छ) कार्य के निष्पादन की विधि और समयावधि का विवरण;
- (ज) सर्वसाधारण को होने वाली असुविधा का विवरण और ऐसी असुविधा को कम करने के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट उपाय;
- (झ) कार्य के निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपायों का विवरण;
- (ञ) पोस्ट या भूमि के ऊपर के अन्य उपकरणों के तकनीकी डिजाइन और रेखाचित्रों का विवरण;
- (ट) जहां लागू हो, सार्वजनिक संस्था द्वारा अधिकृत संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा तकनीकी डिजाइन के प्रमाणीकरण की एक प्रति, जो ओवरग्राउन्ड दूरसंचार नेटवर्क की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाणित करती हो;
- (ठ) सार्वजनिक संस्था द्वारा अधिकृत संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणीकरण की एक प्रति, जो उस भवन की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाणित करती हो जिस भवन पर पोस्ट या भूमि के ऊपर के अन्य उपकरण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, यदि लागू हो;
- (ड) किए गए आवेदन के संबंध में सूचना के प्रयोजनों के लिए सुविधा प्रदाता के कर्मचारियों के नाम और संपर्क विवरण;
- (ढ) सुविधा प्रदाता की राय में, प्रस्तावित कार्य से संबंधित अथवा उससे संबंधित, प्रासंगिक किसी अन्य मामले का विवरण; और
- (ण) कार्य से संबंधित अथवा उससे संबंधित किसी अन्य मामले का विवरण, जिसे सार्वजनिक संस्था द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाए।

बशर्ते कि मार्ग के अधिकार केवल ओवरग्राउंड दूरसंचार लाइन की स्थापना से संबंधित होने पर खंड (ख), (ग), (ङ), (च), (ज), (ट) और (ठ) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी;

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ सार्वजनिक संस्था द्वारा अपने प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए अधिसूचित शुल्क संलग्न किया जाएगा, जो राशि इन नियमों की अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी।

9. सार्वजनिक संस्था द्वारा अनुमति प्रदान करना। -

(1) नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की जांच करने पर, सार्वजनिक संस्था :

(क) ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस कैलेंडर दिवसों के भीतर, पोर्टल के माध्यम से स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है, जैसा कि अपेक्षित हो:

बशर्ते सार्वजनिक संस्था ऐसे सभी स्पष्टीकरण और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, एक समेकित मांगपत्र में मांगेगी;

(ख) आवेदन प्राप्त होने के सड़सठ कैलेंडर दिवसों के भीतर अनुमति प्रदान करेगी।

(2) सार्वजनिक संस्था द्वारा दी गई अनुमति में:

(क) यह सुनिश्चित करना कि स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क के क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क और सहायक अवसंरचना द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र सम्मिलित होगा।

स्पष्टीकरण :

जब मोबाइल टावर स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है तो ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क के क्षेत्र में मोबाइल टावर और जमीन पर ऐसे सहायक अवसंरचना जैसे- बेस ट्रांसीवर स्टेशन, इंजन अल्टरनेटर आदि शामिल होंगे।

(ख) सुविधा प्रदाता द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग हेतु जिसके तहत सुविधा प्रदाता द्वारा ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, सार्वजनिक संस्था द्वारा निर्धारित भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि विनिर्दिष्ट करना जो अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी; और

(ग) सार्वजनिक असुविधा को कम करने अथवा ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की संरचनात्मक सुरक्षा सहित सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समय और उपाय के साथ-साथ मार्ग के अधिकार के निष्पादन का तरीका और इस प्रकार स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के अनुरक्षण सहित अन्य शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा:

बशर्ते कि सार्वजनिक संस्था नियम (8) के उप-नियम (2) के तहत सुविधा प्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट निष्पादन के तरीके पर उचित विचार करेगी।

(3) यदि सार्वजनिक संस्था के पास मार्ग के अधिकार की अनुमति को अस्वीकृत करने के विशेष कारण हैं तो वह आवेदन प्राप्त होने के पैंतालीस कैलेंडर दिवसों के भीतर ऐसे कारणों को पोर्टल पर अपलोड करेगी और सुविधा प्रदाता पंद्रह कैलेंडर दिवसों के भीतर उल्लिखित कारणों का प्रतिवाद करने तथा यदि प्रस्तावित हो तो निवारण के लिए प्रतिक्रिया दे सकता है।

(4) सार्वजनिक संस्था उप-नियम (3) के अधीन सुविधा प्रदाता के उत्तर, यदि कोई हो, पर सम्यक् विचार करने के पश्चात सात कैलेंडर दिवसों की अवधि के भीतर मार्ग के अधिकार के लिए आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लेगी और इस निर्णय को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(5) उपनियम (3) के अधीन सुविधा प्रदाता के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात मार्ग के अधिकार की अनुमति को अस्वीकृत करने वाले किसी निर्णय में अस्वीकृति के विशिष्ट कारणों को दर्ज किया जाएगा;

- (6) सार्वजनिक संस्था द्वारा अनुमति अस्वीकृत किए जाने पर सार्वजनिक संस्था नियम 8 के उप-नियम (3) के अंतर्गत भुगतान किए गए शुल्क का अस्सी प्रतिशत अस्वीकृति की ऐसी तिथि से पंद्रह कैलेंडर दिवसों की अवधि के भीतर सुविधा प्रदाता को वापस करेगी।
- (7) यदि सार्वजनिक संस्था इस नियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अनुमति देने या अस्वीकार करने में विफल रहती है तो अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी और स्वचालित रूप से पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी।
- (8) सार्वजनिक संस्था उप-नियम (7) के तहत प्रदान की गई अनुमति के मामलों में सात कैलेंडर दिवसों की अवधि के भीतर पोर्टल के माध्यम से ऐसी प्रदान की गई अनुमति के निबंधन और शर्तें तैयार करेगी।
- (9) सुविधा प्रदाता भूमि के ऊपर अवसंरचना स्थापित करने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति की किसी भी क्षति के लिए पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर मुआवजा देगा जो अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी।
- (10) सार्वजनिक संस्था, इन नियमों के अन्तर्गत अनुमत शुल्कों के अतिरिक्त, ओवरग्राउन्ड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए किसी भी रूप में कोई शुल्क, मुआवजा या कोई अन्य वित्तीय अंशदान नहीं लेगी।

10. अस्थायी भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना।

- (1) किसी सुविधा प्रदाता द्वारा संचालित और अनुरक्षित किसी मौजूदा भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क को किसी भी कारण से क्षति पहुंचने की स्थिति में सुविधा प्रदाता दूरसंचार सेवाओं की शीघ्र पुनर्स्थापना के प्रयोजन से सार्वजनिक संपत्ति पर अस्थायी रूप से ओवरग्राउन्ड दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करेगा जिसके लिए वह पोर्टल के माध्यम से संबंधित सार्वजनिक संस्था जिसके पास ऐसी सार्वजनिक संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन है, को लिखित रूप में क्षति के विवरण सहित सूचना प्रदान करेगा। इस प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक संस्था से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- (2) सुविधा प्रदाता सार्वजनिक संस्था को क्षति की सूचना देने की तिथि से साठ कैलेंडर दिवसों के भीतर भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की पुनर्स्थापना सुनिश्चित करेगा।
- (3) अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट उप-नियम (1) के अधीन अस्थायी ओवरग्राउन्ड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सार्वजनिक संस्था द्वारा कोई शुल्क या प्रतिकर नहीं लिया जाएगा।

11. स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग।

- (1) किसी सार्वजनिक संपत्ति पर स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के प्रयोजन के लिए, सुविधा प्रदाता पोर्टल के माध्यम से संबंधित सार्वजनिक इकाई जिसके पास ऐसी सार्वजनिक संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन है को अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा, साथ ही स्ट्रीट फर्नीचर का विवरण और सार्वजनिक इकाई द्वारा अधिकृत संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणीकरण की एक प्रति देगा, जो स्ट्रीट फर्नीचर की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाणित करती है, जिस पर स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना प्रस्तावित है।
- (2) सुविधा प्रदाता, अपने विकल्प पर उप-नियम (1) के तहत विनिर्दिष्ट जानकारी के साथ एकल या एकाधिक साइटों के लिए स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइनों की स्थापना के लिए पोर्टल के माध्यम से एकल आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और सार्वजनिक संस्था ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर एकल या एकाधिक, जैसा भी मामला हो, अनुमति जारी करेगा।
- (3) अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के तहत आवेदन पर कोई शुल्क या प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- (4) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के तहत प्राप्त आवेदन की जांच करने पर, सार्वजनिक संस्था:
- (क) पोर्टल के माध्यम से किसी भी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकती है;
- (ख) आवेदन प्राप्त होने के साठ कैलेंडर दिवसों के भीतर अनुमति दे सकती है।

(5) यदि सार्वजनिक संस्था के पास मार्ग के अधिकार की अनुमति को अस्वीकार करने के कारण हैं तो वह आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस कैलेंडर दिवसों के भीतर ऐसे आधारों और प्रश्नों को, यदि कोई हो, पोर्टल पर अपलोड करेगी और सुविधा प्रदाता को पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर उनका उत्तर देने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगी।

(6) सार्वजनिक संस्था, उप-नियम (5) के तहत ऐसे उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद यदि सुविधा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर वह मार्ग के अधिकार के लिए आवेदन को अस्वीकार करती है तो उसे सुविधा प्रदाता द्वारा उप-नियम (5) के तहत प्रस्तुत उत्तर के पंद्रह कैलेंडर दिवसों की अवधि के भीतर पोर्टल पर दर्ज करेगी।

(7) यदि सार्वजनिक संस्था उप-नियम (4) के तहत अनुमति देने या उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने में विफल रहती है तो अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी और स्वचालित रूप से पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी।

(8) उप-नियम (7) के अन्तर्गत ऐसी प्रदान की गई अनुमति के मामले में सार्वजनिक संस्था ऐसी दी गई अनुमति के सात कैलेंडर दिवसों की अवधि के भीतर ऐसी अनुमति के निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगी।

(9) सार्वजनिक संस्था स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना हेतु स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए सुविधा प्रदाता से सार्वजनिक संस्था द्वारा निर्धारित ऐसा मुआवजा प्राप्त करने की हकदार होगी जो अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी।

(10) सार्वजनिक संस्था अपने स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के तहत भवनों और अवसंरचनाओं या अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर छोटे सैलों के संस्थापना की अनुमति देगी और इस तरह की संस्थापना के लिए कोई प्रशासनिक शुल्क या मुआवजा नहीं लेगी जैसा कि अनुसूची के भाग -3 में निर्दिष्ट है:

वशर्ते कि वास्तविक आंकड़ों के अनुसार बिजली की खपत और ऐसे छोटे सैलों के फिक्स्चर के संबंध में सार्वजनिक संस्था द्वारा प्रभार की उगाही की जाएगी।

(11) सुविधा प्रदाता सार्वजनिक संस्था के विकल्प पर या तो छोटे सैलों के संस्थापन के दौरान संपत्ति को किए गए किसी भी क्षति को पुनःस्थापित करेगा या पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर ऐसी किसी भी क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करेगा।

अध्याय 4: सार्वजनिक संपत्ति में भूमि के ऊपर और भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क के लिए लागू विविध प्रावधान

12. कार्य करने के दौरान सुविधा प्रदाता के दायित्व।

जहां सुविधा प्रदाता को नियम 7 या नियम 9 के तहत सार्वजनिक संपत्ति में मार्ग का अधिकार दिया गया है ऐसे सुविधा प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे:

(क) इन नियमों के तहत निर्दिष्ट सभी राशियों का भुगतान और सार्वजनिक संस्था से अनुमति प्राप्त करने के निबंधनों और शर्तों का पालन;

(ख) भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की अवसंरचनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उपाय सहित सार्वजनिक असुविधा को कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का कार्यान्वयन करना; और

(ग) उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए स्थितीय आसूचना के माध्यम से ऐसे सुविधा प्रदाता द्वारा स्थापित सभी भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की वास्तविक समय सूचना का प्रावधान। मौजूदा दूरसंचार नेटवर्क के लिए अंतर्निहित जानकारी सहित वास्तविक समय की जानकारी वाले ऐसे डेटाबेस को सार्वजनिक संस्था और मांग पर नामित अधिकारी के साथ साझा किया जाएगा।

13. जारी कार्य के संबंध में सार्वजनिक संस्था की शक्तियां।

(1) सार्वजनिक संस्था अनुमति के शर्तों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुविधा प्रदाता के काम के निष्पादन की निगरानी या निरीक्षण कर सकती है।

(2) सार्वजनिक संस्था इस तरह की निगरानी और निरीक्षण के आधार पर और इसके लिए सुविधा प्रदाता को पोर्टल के माध्यम से उचित नोटिस देने के बाद लिखित रूप में दर्ज करते जैसा की वह उचित समझे ऐसी अन्य उचित, प्रासंगिक और साक्ष्य-आधारित शर्तों को लागू कर सकती है।

(3) यदि सुविधा प्रदाता अनुमति प्रदान किए जाने हेतु निबंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपेक्षित भुगतान नहीं करता है तो सार्वजनिक संस्था द्वारा कम से कम पंद्रह कैलेंडर दिनों के नोटिस जारी करने के बाद और यदि उक्त भुगतान को पोर्टल के माध्यम से इस अवधि के भीतर नहीं दिए जाने पर प्रदान की गई अनुमति को समाप्त करने का अधिकार होगा।

(4) यदि सार्वजनिक संस्था इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सुविधा प्रदाता ने उप) नियम-3) के तहत निर्दिष्ट के अलावा अनुमति प्रदान किए जाने के लिए शर्तों में से किसी का भी जानबूझकर उल्लंघन किया है तो वह इन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए सुविधा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त कर सकती है और सुविधा प्रदाता को दी गई अनुमति वापस ले सकती है :

बशर्ते कि इस उपनियम के तहत तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि सुविधा प्रदाता को पोर्टल के - माध्यम से सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

अध्याय 5: सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना और अनुरक्षण

14. सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति पर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना।

(1) कोई भी सुविधा प्रदाता जो अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक संपत्ति के अलावा कोई अन्य अचल संपत्ति में प्रवेश करना चाहता है तो वह ऐसी संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन रखने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति और आपसी करार से ही करेगा। इस तरह के करार को अधिनियम की धारा 14 के उप-खंड (3) के अनुसरण में पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) उप-नियम (1) के तहत करार निम्नलिखित से संबंधित मामलों के लिए प्रदान करेगा:

(क) संपत्ति में सुविधा प्रदाता के प्रवेश का समय एवं तरीका और ऐसे प्रवेश के लिए दिए जाने वाला अग्रिम नोटिस यदि कोई हो;

(ख) सुविधा प्रदाता द्वारा देय होने पर विचार;

(ग) संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में उठाए जाने वाले कदम जिसमें संपत्ति को उस स्थिति में बहाल करना शामिल है जैसी वह ऐसी गतिविधियों के शुरू होने से पहले थी ऐसा न करने पर सुविधा प्रदाता ऐसी क्षति के लिए आपसी करार के अनुसार मुआवजा देगा; और

(घ) किसी भी असुविधा को कम करने और संरचनात्मक सुरक्षा सहित सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के अनुरक्षण से संबंधित उपायों सहित अन्य शर्तों को निर्दिष्ट करना।

(3) सार्वजनिक संस्था सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति पर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए कोई शुल्क, प्रभार या मुआवजा नहीं लगाएगी।

(4) ऐसी संपत्ति पर मोबाइल टावर या पोल की स्थापना के मामले में सुविधा प्रदाता पोर्टल पर इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप में संबंधित सार्वजनिक संस्था को लिखित में सूचित करेगा साथ ही उस भवन या संरचना का ब्यौरा भी देगा जहां मोबाइल टावर या पोल की स्थापना प्रस्तावित है तथा ऐसी स्थापना के प्रारंभ होने से पहले सार्वजनिक संस्था द्वारा प्राधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाणन की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो उस भवन या संरचना की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाणित करती है, जहां मोबाइल टावर या पोल की स्थापना प्रस्तावित है।

15. केन्द्रीय सरकार द्वारा लोकहित में मार्ग के अधिकार की अनुमति देने की प्रक्रिया।

(1) यदि सुविधा प्रदाता नियम 14 के उपनियम (1) के तहत व्यक्ति के साथ करार पर पहुंचने में विफल रहता है तो वह संबन्धित दस्तावेजों के साथ पोर्टल के माध्यम से जिला कलेक्टर या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य नामित अधिकारी को जिसके अधिकार क्षेत्र में यह संपत्ति स्थित है को अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या ऐसा मार्ग का अधिकार लोकहित में आवश्यक है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर या अन्य नामित अधिकारी जैसा भी मामला हो तीस कैलेंडर दिनों के भीतर या तो

(क) मार्ग का अधिकार की अनुमति के लिए अनुरोध को अस्वीकार करेगा या

(ख) सुविधा प्रदाता द्वारा मांगे गए मार्ग का अधिकार की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए संबंधित संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन रखने वाले व्यक्ति को नोटिस देगा।

(3) उप-खण्ड (2) के उप-पैरा (ख) के अधीन कोई नोटिस ऐसे व्यक्ति को किसी संदेशवाहक द्वारा उसकी एक प्रति सौंपकर तथा उसकी दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर लेकर तामील की जा सकेगी।

(4) यदि ऐसी सूचना की तामील उपनियम (3) के अधीन उचित रूप से संभव नहीं है तो नोटिस संबंधित व्यक्ति को उसके ज्ञात निवास पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी और ऐसे व्यक्ति को ऐसी पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट की डिलीवरी पर नोटिस का तामील माना जाएगा और यदि वह ऐसी पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट को प्राप्त करने से इंकार करता है तो डाकघर के अधिकारी द्वारा पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट पर की गई ऐसी इंकार की टिप्पणी ऐसे व्यक्ति पर सूचना की तामील मानी जाएगी।

(5) यदि ऐसे नोटिस की तामील उपनियम (3) और (4) के अधीन उचित रूप से संभव नहीं है तो ऐसे नोटिस की विषय-वस्तु उस इलाके में प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी जहां संबंधित व्यक्ति वास्तव में या स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है और ऐसा प्रकाशन ऐसे व्यक्ति पर ऐसे नोटिस की तामील माना जाएगा।

(6) उपनियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपनियम (3), (4) या (5) के अधीन नोटिस की तामील के पन्द्रह कैलेंडर दिनों के भीतर जैसा भी मामला हो मार्ग के अधिकार से संबंधित विषयों और आपत्तियों या उन शर्तों के संबंध में जिनके अधीन मार्ग के अधिकार पर विचार किया जा सकता है इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए प्रारूप में लिखित रूप में जवाब देगा।

(7) जिला कलेक्टर या अन्य नामित अधिकारी जैसा भी मामला हो उप-नियम (1) के तहत आवेदन और उप-नियम (6) के तहत प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद लिखित आदेश द्वारा निर्धारित करेगा कि दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए मार्ग का अधिकार सार्वजनिक हित में दिया जाना चाहिए या नहीं। ऐसा निर्धारण सामान्यतः उप-नियम (1) के तहत नोटिस प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) कैलेंडर दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(8) जहां उप-नियम (7) के तहत आदेश मार्ग के अधिकार हेतु अनुमति देता है वहां इसके लिए नियम और शर्तें भी निर्दिष्ट की जाएंगी जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(क) वह क्षेत्र जिस पर मार्ग के अधिकार की अनुमति है तथा स्थापित किए जाने वाले दूरसंचार नेटवर्क की प्रकृति;

(ख) सुविधा प्रदाता द्वारा देय शुल्क तथा ऐसे भुगतान का समय और प्रक्रिया;

(ग) दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के परिणामस्वरूप संपत्ति को हुए किसी नुकसान की मरम्मत करने और उसे पुनर्स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदाता के दायित्व या ऐसी मरम्मत या पुनर्स्थापना करने में विफलता की स्थिति में देय मुआवजा; और

(घ) अन्य शर्तें जिनमें किसी असुविधा को कम करने के लिए समय और उपाय या सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के उपाय, मार्ग के अधिकार के निष्पादन का तरीका और इस प्रकार स्थापित दूरसंचार नेटवर्क का अनुरक्षण शामिल है।

अध्याय 6: सामान्य डक्ट और केबल कॉरिडोर

16. सामान्य डक्ट्स और केबल कॉरिडोर के ओपन एक्सेस के लिए निबंधन और शर्तें।

(1) जहां केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 15 के अधीन कोई अवसंरचना परियोजना या अवसंरचना परियोजनाओं की श्रेणी को अधिसूचित किया है वहां ऐसी परियोजना पर स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन रखने वाली सार्वजनिक संस्था सुविधा प्रदाताओं को ऐसी परियोजना में संस्थापित ऐसे सामान्य डक्ट, कॉन्ड्यूइट या केबल कॉरिडोर के माध्यम से दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना के प्रयोजन के लिए आवेदन करने में समर्थ बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध कराएगी।

(2) उप-नियम (1) के तहत कोई भी आवेदन निम्नलिखित जानकारी के सहित होगा:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकार की एक प्रति जिसके संबंध में दूरसंचार नेटवर्क की आवश्यकता है;

(ख) विद्यमान जाने वाले प्रस्तावित भूमिगत या भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क का विवरण;

(ग) सुविधा प्रदाता के मतानुसार किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य से संबंधित किसी अन्य संबंधित मामले का विवरण; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट कार्य से जुड़े या संबंधित किसी भी अन्य मामले का विवरण।

(3) सार्वजनिक संस्था जो अवसंरचना परियोजना या अवसंरचना परियोजनाओं के वर्ग के लिए जिम्मेदार है भुगतान शुल्क के अधीन गैर-भेदभावपूर्ण और ओपन एक्सेस के आधार पर दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना के लिए ऐसे सामान्य डक्ट या कॉन्ड्यूइट या केबल कॉरिडोर उपलब्ध कराएगी जो प्रचलित बाजार दरों पर आधारित होगा और न्यूनतम पच्चीस (25) वर्षों की अवधि में लागत वसूली के सिद्धांत पर आधारित होगा:

बशर्ते कि ऐसे शुल्क ऐसी अवसंरचना परियोजना या अवसंरचना परियोजना की श्रेणी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होंगे।

अध्याय 7 : मौजूदा दूरसंचार नेटवर्क संबंधी अधिकार

17. हटाने आदि की मांग का अधिकार

(1) यदि किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंधन हो और यह मानता हो कि किसी उचित कारण के लिए उस संपत्ति पर सुविधा-प्रदाता द्वारा लगाए गए ओवरग्राउंड या भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क को हटाना, पुनर्स्थापित करना या उसके स्थान में परिवर्तन के लिए आवश्यक और समीचीन है तो यह सुविधा-प्रदाता को नोटिस जारी करेगा जिसमें ऐसे दूरसंचार नेटवर्क को हटाने, पुनर्स्थापित करने या स्थान परिवर्तन करने के कारणों का उल्लेख किया गया हो।

(2) उप-नियम (1) के तहत नोटिस प्राप्त होने पर सुविधा प्रदाता ऐसे कार्यों के लिए व्यय और ऐसे व्यक्ति को हटाने, स्थानांतरित करने या स्थान परिवर्तित करने के लिए तीस दिनों के भीतर विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगा।

(3) ऐसे दूरसंचार नेटवर्क को हटाने, पुनर्स्थापित करने या परिवर्तित करने की लागत सहित जिम्मेदारी और दायित्व का सुविधा प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा; बशर्ते यह कि उप-नियम (1) के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति मुआवजे, यदि कोई हो, चुकाएगा जो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) या धारा 12 की उप-धारा (4) के तहत सुविधा-प्रदाता से प्राप्त हो सकता था।

(4) सुविधा-प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि इस नियम के तहत ऐसे दूरसंचार नेटवर्क को हटाने, पुनर्स्थापन या स्थान परिवर्तन करने से संबंधित कोई भी कार्य, उप-नियम (1) के तहत अनुरोध की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाए।

18. किसी संपत्ति के साथ किसी कानूनी अधिकार के प्रयोग में निपटान की प्रक्रिया —

(1) कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति पर इस तरह से कानूनी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, जिससे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत रूप से रखे गए किसी ओवरग्राउंड या भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान या बाधित या हस्तक्षेप होने की संभावना है, तो वह पोर्टल पर एक नोटिस प्रस्तुत करेगा, जिसमें इस तरह के कानूनी अधिकार के प्रयोग के संबंध में जानकारी होगी, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

(क) ऐसे नोटिस देने वाले व्यक्ति का नाम, पता और संबंधित संपर्क विवरण;

(ख) प्रारंभ करने की तिथि और समय के साथ कानूनी अधिकारों के प्रयोग का विवरण और स्थल;

(ग) ऐसे व्यक्ति के अधिकारों के प्रयोग के लिए खुदाई या उत्खनन या अन्य कार्रवाई की आवश्यकता क्यों है, दूरसंचार नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप की संभावना, और नियम 17 के तहत कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है;

(घ) यदि कोई आपात परिस्थिति हो जिसके लिए त्वरित प्रतिक्रिया अपेक्षित है।

(2) ऐसी संपत्ति पर दूरसंचार नेटवर्क के प्रचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार संबंधित सुविधा प्रदाता, उप-नियम (1) के तहत व्यक्ति द्वारा नोटिस प्रस्तुत करने पर, पोर्टल के माध्यम से ऐसी संपत्ति के तहत या उसके ऊपर या उसके साथ आने वाले दूरसंचार नेटवर्क का विवरण प्रदान करेगा साथ ही कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान से बचने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा के भीतर एहतियाती उपाय लागू किए जाने की आवश्यकता है:

(क) जहां किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में उप-नियम (1) के तहत चौबीस घंटे की अवधि के भीतर अधिसूचित किया गया है या

(ख) अन्य सभी परिस्थितियों में उप-नियम (1) के तहत नोटिस प्रस्तुत करने की तारीख से सात दिनों की अवधि।

(3) इस नियम के तहत कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति उप-नियम (2) के अनुसार सुविधा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट सभी एहतियाती उपायों को लागू करेगा।

(4) यदि कोई सुविधा-प्रदाता उप-नियम (3) के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस नोटिस का उत्तर नहीं देता है तो उप-नियम (1) के तहत नोटिस प्रदान करने वाला व्यक्ति, दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में यथोचित सावधानी के साथ कानूनी अधिकारों का प्रयोग करेगा जिसके ऐसे अधिकारों के प्रयोग से प्रभावित होने की संभावना है।

अध्याय 8: विविध प्रावधान

19. लागू कर, प्रभार, शुल्क आदि।

इन नियमों के तहत किसी भी प्रकार का देय प्रभार इन कानूनों के तहत अल्प समय के लिए यथा लागू कर, शुल्क या अन्य प्रभारों को छोड़कर होगा।

20. इन नियमों के तहत देय राशि की वसूली

वसूली के अन्य तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों के तहत किसी सार्वजनिक संस्था को देय कोई राशि, यदि भुगतान नहीं किया गया है तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

अनुसूची

[नियम 6(3), 7(9)(ख), 7(10)(ख), 7(12), 8(3), 9(2)(ख), 9(9), 9(10), 10(3), 11(3), 11(9), 11(10) देखें]

| नियम | मद | राशि |
|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| भाग -1: आवेदनों की जांच के लिए शुल्क | | |
| 6(3) | भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए आवेदन की जांच हेतु शुल्क | प्रति किलोमीटर के लिए एक हजार रुपये की एक मुश्त प्रभार। |
| 8(3) | भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए आवेदन की जांच के लिए शुल्क | एक मुश्त प्रभार निम्नानुसार हैं: (i) मोबाइल टावर की स्थापना के लिए प्रति टावर दस हजार रुपये (ii) भूमि के ऊपर दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए प्रति किलोमीटर एक हजार रुपये। (iii) पोल लगाने, स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइनों की स्थापना के लिए शून्य। |
| 11(3) | स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग हेतु आवेदन की जांच के लिए शुल्क | शून्य। |
| भाग-2 क्षति के लिए मुआवजा या पुनर्स्थापन के लिए बैंक गारंटी | | |
| 7(9)(ख) | राज्य को संपत्ति की पुनर्स्थापन के लिए मुआवजा क्योंकि यह भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना से पहले मौजूद था, जहां सार्वजनिक संस्था द्वारा संपत्ति की पुनर्स्थापन आवश्यक नहीं है। | उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार, यदि उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो, सार्वजनिक संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए राशि आवश्यक है ऐसी दर किसी भी परिस्थिति में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके कार्य के लिए ली जाने वाली दर से अधिक नहीं होगी। |
| 7(10)(ख) | भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना संबंधी मामले में निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी जहां सुविधा प्रदाता के लिए सार्वजनिक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति के पुनर्स्थापना हेतु जिम्मेदारी का निर्वहन करने | यदि उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं की गई है तो उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अथवा उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति |

| नियम | मद | राशि |
|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | के लिए अन्डरटेकिंग निर्दिष्ट की गई है। | को पुनर्स्थापित करने के लिए अपेक्षित राशि का 20% होगी। |
| 9(9) | राज्य को संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए मुआवजा जैसा कि वह भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क से पहले मौजूद था। | <p>उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार, यदि उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं की गई है, सार्वजनिक संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए राशि आवश्यक है।</p> <p>ऐसी दर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं के काम के लिए ली जाने वाली दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क के मामले में सुविधा प्रदाता स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए पोल की स्थापना के मामले में हुई संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देगा।</p> |
| भाग-3 मार्ग के अधिकार के लिए मुआवजा | | |
| 7(12) | भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना | शून्य। |
| 9(2)(ख) | ओवर ग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना | <p>जहां दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना सार्वजनिक संपत्ति को किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने की संभावना नहीं हो सार्वजनिक संपत्ति के मूल्य के लिए मुआवजा या तो एक बार या वार्षिक ऐसी दरों पर मूल्यांकन किया जाता है जैसा कि सार्वजनिक संस्था सामान्य आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।</p> <p>बशर्ते हालांकि स्मॉल सेलों की संस्थापना के लिए पोल की स्थापना और दूरसंचार लाइन की क्षतिपूर्ति शून्य होगी।</p> |
| 10(3) | अस्थायी भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना | शून्य। |
| 11(9) | स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग | (i) स्मॉल सेल की संस्थापना के लिए: शहरी क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष तीन सौ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक स्ट्रीट फर्नीचर के लिए एक सौ |

| नियम | मद | राशि |
|--------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | पचास रुपये (ii) दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए: प्रत्येक स्ट्रीट फर्नीचर के लिए प्रति वर्ष एक सौ रुपये। |
| 11(10) | सार्वजनिक संस्थाओं के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के तहत भवन/संरचनाओं पर स्मॉल सेल की संस्थापना के लिए। | शून्य। |

[फा. सं. 24-01/2024-यूबीवी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th July, 2024

G.S.R. 373(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11, read with sub-sections (5) and (6) of section 12, read with sub-section (2) of section 15, read with sub-sections (1) and (2) of section 17, read with clauses (n), (o), (p), (q), (r), and (s) to sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the official Gazette, are made available to public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunication, Ministry of Communication, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi-110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft rules before the expiry of aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

CHAPTER 1: PRELIMINARY**1. Short title and commencement.-**

- (1) These rules may be called the Telecommunications Right of Way Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. —

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “**Act**” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
 - (b) “**common ducts or conduits or cable corridors**”, individually or collectively mean any linear infrastructure of any shape and size for housing utility lines including telecommunication lines;
 - (c) “**designated officer**” means an officer designated by the Central Government for the purposes of these rules;
 - (d) “**duct**” means a pipe, permanently lubricated or of any other kind, used as underground cable

conduit for telecommunication line;

- (e) “**mobile tower**” means any above-ground contrivance for carrying, suspending or supporting a telecommunication network and does not include pole;
- (f) “**overground telecommunication network**” means parts of a telecommunication network established over the ground and includes posts, mobile tower, telecommunication line or other above ground contrivances, appliances and apparatuses for the purpose of establishment or maintenance of the telecommunication network;
- (g) “**pole**” means any above-ground contrivance of height not exceeding eight meters for carrying, suspending or supporting a telecommunication line and does not include mobile tower;
- (h) “**portal**” means the web or mobile portal notified by the Central Government for the purpose of these rules;
- (i) “**rules**” means the Telecommunications Right of Way Rules, 2024;
- (j) “**Schedule**” means the schedule appended to these rules;
- (k) “**small cell**” means a low powered cellular radio access node that has a coverage of distance from ten meters to two kilometers;
- (l) “**street furniture**” means any post or pole used for electricity, street light, traffic light, traffic sign, bus stop, tram stop, taxi stand, public lavatory, memorial, public sculpture, utility pole or any other structure or contrivance of such nature established over the property of public entity;
- (m) “**telecommunication line**” means a wire or wires, or optical fiber used for the purpose of telecommunication, with any casing, coating, tube or pipe enclosing the same, and any appliances and apparatuses connected therewith for the purpose of fixing or insulating the same;
- (n) “**underground telecommunication network**” means parts of a telecommunication network laid under the ground and includes ducts, manholes, marker stones, hand holes, telecommunication line, appliances and apparatuses for the purposes of establishment or maintenance of the telecommunication network.

- (2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Scope. -

- (1) These rules apply to permissions for right of way for telecommunication networks.
- (2) Any public entity shall exercise the powers under these rules upon an application made by any facility provider seeking right of way for telecommunication network.
- (3) All applications, notifications, clarifications, permissions, objections or rejections under these rules, shall be made through the portal to the extent specified under these rules.

4. Public entity to appoint nodal officer. -

Every public entity shall notify on the portal the officer (by designation) who shall be the nodal point for the purposes of these rules, within thirty calendar days of notification of these rules. Any replacement of such officer shall also be promptly notified on the portal.

5. Validity of Permission. —

The permission granted to a facility provider for right of way under these rules shall be coterminous with the term of the authorisation for the underlying telecommunication network, unless such permission is terminated in accordance with these rules.

CHAPTER 2: ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF UNDERGROUND TELECOMMUNICATION NETWORK IN PUBLIC PROPERTY

6. Application by a facility provider. —

- (1) A facility provider seeking right of way in any public property for the purposes of establishing underground telecommunication network, shall submit an application, through the portal, to the relevant public entity which has ownership, control or management over such public property, supported by documents as specified under sub-rule (2) and in such form and manner as may be specified by that public entity.
- (2) The information along with supporting documents to be provided by the facility provider, through the

portal, in the application made under sub-rule (1) shall include-

- (a) a copy of the authorisation granted by the Central Government;
 - (b) details of the underground telecommunication network proposed to be laid;
 - (c) if the right of way pertains to existing telecommunication networks include a copy of as-built drawings of such telecommunication network;
 - (d) details of the mode of and the estimated duration for execution of the work;
 - (e) details of the time of the day when the work is expected to be done in case the facility provider expects the work to be done during specific time of the day;
 - (f) details of the expenses that such public entity will necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken by the facility provider;
 - (g) details of the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;
 - (h) details of the specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;
 - (i) the names and contact details of the employees of the facility provider for the purposes of communication in regard to the application made;
 - (j) details of any other matter relevant, in the opinion of the facility provider, connected with or related to the work proposed to be undertaken; and
 - (k) details of any other matter connected with or related to the work as may be specified, through a general or special order, by the public entity.
- (3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with fee as notified by the public entity to meet its administrative expenses, which shall not exceed the amount specified in Part-1 of the Schedule to these rules.

7. Grant of permission by public entity. —

- (1) Upon examination of an application received under rule 6, the public entity may:
 - (a) seek clarifications or further documents through the portal, as may be required, within thirty calendar days of receipt of such application;

Provided that the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition;
 - (b) grant the permission within sixty-seven calendar days of receiving the application.
- (2) The permission granted by the public entity shall:
 - (a) ensure that the area (cross-section) of the underground telecommunication network for which right of way is granted shall be the length of duct multiplied by the diameter of the duct multiplied by the number of ducts;
 - (b) specify whether the permission is subject to the undertaking and bank guarantee for restoration of property under sub-clause (a) of sub-rule (9) read with sub-rule (10), or compensation for any damage as specified in sub-clause (b) of sub-rule (9);
 - (c) specify other conditions including the time and measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety, the mode of execution of the right of way, and maintenance of the telecommunication network so established:

Provided however that, the public entity shall give due consideration to the mode of execution as specified by the facility provider under sub-rule (2) of rule (6).
- (3) In the event the public entity believes that it has reasons to reject the permission for right of way, it shall upload, within forty-five calendar days of receipt of the application, such reasons on the portal and the facility provider may respond within fifteen calendar days to such reasons.
- (4) The public entity shall, after due consideration of the facility provider's response, if any, under sub-rule (3), within a period of seven calendar days, decide to either accept or reject the application for right of way and shall upload the decision on the portal.

- (5) Any decision rejecting the permission for right of way, shall cite specific reasons for rejection;
- (6) Upon rejection of permission by the public entity, the public entity shall refund to the facility provider eighty percent of the fee paid under sub-rule (3) of rule 6, within a period of fifteen calendar days from such date of rejection.
- (7) If the public entity fails to either grant or reject permission within the timelines specified under this rule, the permission shall be deemed to have been granted, and shall be automatically uploaded on the portal.
- (8) In cases of deemed permission issued under sub-rule (7), the public entity shall, within a period of seven calendar days, generate through the portal, the terms and conditions of such deemed permission.
- (9) In order to address any damage to the property as a result of the works relating to the right of way, the facility provider shall, at the option of the public entity:
 - (a) restore such property to the state as it existed prior to the execution of such activities; or
 - (b) pay compensation for such damage as may be mutually agreed, not exceeding the amount specified in Part-2 of the Schedule.
- (10) A public entity may seek restoration of the property by the facility provider under sub-clause (a) of sub-rule (9) in cases where the grant of permission has been made subject to:
 - (a) the provision of an undertaking as specified in the form available on the portal; and
 - (b) a bank guarantee for an amount, not exceeding the amount specified in Part-2 of the Schedule, as security for performance by the facility provider, within such time as specified in the permission.
- (11) The public entity shall return to the facility provider the bank guarantee provided under sub-paragraph (b) of sub-rule (10), within thirty calendar days of completion of such restoration work based on certification by the facility provider through the portal.
- (12) The public entity shall not levy or charge in any form any fee or compensation or any other financial contribution for the establishment of underground telecommunication network, other than those permitted under these rules.

CHAPTER 3: ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF OVERGROUND TELECOMMUNICATION NETWORK IN PUBLIC PROPERTY

8. Application by a facility provider. —

- (1) A facility provider seeking right of way in any public property for the purposes of establishing overground telecommunication network, shall submit an application through the portal, to the relevant public entity which has ownership, control or management over such public property, supported by documents as specified under sub-rule (2) and in such form and manner as may be specified by the public entity.
- (2) The information along with supporting documents to be provided by the facility provider, through the portal, in the application made under sub-rule (1) shall include-
 - (a) a copy of the authorisation granted by the Central Government;
 - (b) details of the nature and location, including exact latitude and longitude, of post, mobile tower, or other above ground contrivances proposed to be established;
 - (c) details of the extent of land or floor space required for establishment of the overground telecommunication network;
 - (d) where applicable, details of the route plan for the overground telecommunication line;
 - (e) details of the building or structure, where the establishment of the overground telecommunication network, is proposed;
 - (f) copy of the approval issued by the duly authorised officer of the Central Government for location of the above ground contrivances proposed to be used for the transmission of Radio waves or Hertzian waves;
 - (g) details of the mode of and the time duration for, execution of the work;
 - (h) details of the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;

- (i) details of the measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;
- (j) details of technical design and drawings of the post or other above ground contrivances;
- (k) where applicable, a copy of the certification of the technical design by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety, of the overground telecommunication network;
- (l) copy of the certification by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety of the building, where the post or other above ground contrivances are proposed to be established on a building, if applicable;
- (m) names and contact details of the employees of the facility provider for the purposes of communication in regard to the application made;
- (n) details of any other matter relevant, in the opinion of the facility provider, connected with or relative to the work proposed to be undertaken; and
- (o) details of any other matter connected with or relevant to the work as may be specified, through a general or special order, by the public entity;

Provided that the documents specified in clauses (b), (c), (e), (f), (j), (k) and (l) shall not be required in the event the right of way pertains only for establishment of overground telecommunication line;

- (3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with fee as notified by the public entity to meet its administrative expenses, which shall not exceed the amount specified in Part-1 of the Schedule to these rules.

9. Grant of permission by public entity. –

- (1) Upon examination of an application received under rule 8, the public entity may:
 - seek clarifications or further documents through the portal, as may be required, within thirty calendar days of receipt of such application;
 - Provided* that the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition;
 - (b) grant the permission within sixty-seven calendar days of receiving the application.
- (2) The permission granted by the public entity shall:
 - (a) ensure that the area of the overground telecommunication network proposed to be established shall be inclusive of the area occupied by the telecommunication network and the supporting infrastructure.

Illustration:

When a mobile tower is proposed to be established, the area of the overground telecommunication network will include the mobile tower and such supporting infrastructure on the ground such as base transceiver station, engine alternator, etc.

- (b) specify the amount of compensation to be paid by the facility provider as determined by the public entity, which shall not exceed the amount specified in Part-3 of the Schedule, for the use of the public property under which the overground telecommunication network is proposed to be established by the facility provider; and
 - (c) specify other conditions including the time and measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety, including structural safety of such overground telecommunication network, as well as the mode of execution of the right of way, and maintenance of the telecommunication network so established;
- Provided* however that, the public entity shall give due consideration to the mode of execution as may be specified by the facility provider under sub-rule (2) of rule (8).
- (3) In the event the public entity has specific reasons to reject the permission for right of way, it shall upload, within forty-five calendar days of receipt of the application, such reasons on the portal and the facility provider may respond within fifteen calendar days to counter the reasons cited and mitigations if any proposed.
 - (4) The public entity shall, after due consideration of the facility provider's response, if any, under sub-rule (3), within a period of seven calendar days, decide to either accept or reject the application for right of

way and such decision shall be uploaded on the portal.

- (5) Any decision rejecting the permission for right of way after considering the representation, if any, of the facility provider under sub rule (3) above, shall record the specific reasons for rejection;
- (6) Upon rejection of permission by the public entity, the public entity shall refund to the facility provider eighty percent of the fee paid under sub-rule (3) of rule 8, within a period of fifteen calendar days from such date of rejection.
- (7) If the public entity fails to either grant or reject permission within the timelines specified under this rule, the permission shall be deemed to have been granted, and the permission shall be automatically uploaded on the portal.
- (8) In cases of issue of deemed permission under sub-rule (7), the public entity shall, within a period of seven calendar days, generate through the portal, the terms and conditions of such deemed permission.
- (9) The facility provider shall pay compensation for any damage to the public property resulting from the laying of the overground infrastructure, on terms as may be mutually agreed, which shall not exceed such amount as specified in Part-2 of the Schedule.
- (10) The public entity shall not charge in any form any fee or compensation or any other financial contribution for the establishment of overground telecommunication network, other than those permitted under these rules.

10. Establishment of temporary overground telecommunication network. –

- (1) In the event of damage caused due to any reason, to any existing underground telecommunication network operated and maintained by a facility provider, such facility provider may, temporarily establish overground telecommunication network on the public property, with a view to prompt restoration of the telecommunication services, by providing in writing the details of the damage, through the portal, to the relevant public entity which has ownership, control or management over such public property. No permission from public entity is required for this purpose.
- (2) The facility provider shall ensure restoration of the underground telecommunication network within sixty calendar days from the date of reporting of the damage to the public entity.
- (3) No fee or compensation shall be charged by the public entity for the establishment of temporary overground telecommunication network under sub-rule (1), as specified in Part-3 of the Schedule.

11. Usage of street furniture for installation of small cells and telecommunication line.

- (1) For the purpose of installation of small cell and telecommunication line on any public property, the facility provider shall submit through the portal an application for permission to the relevant public entity which has ownership, control or management over such public property, along with details of the street furniture and a copy of certification by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety of the street furniture upon which the installation of small cells and telecommunication line is proposed.
- (2) The facility provider may submit through the portal a single application for installation of small cells and telecommunication lines for single or multiple sites at its option, with the information specified under sub-rule (1), and the public entity shall, upon receiving such application, issue a single or multiple permission(s), as the case may be.
- (3) No fees or charges shall be levied on an application under sub-rule (1) or sub-rule (2), as specified in Part-1 of the Schedule.
- (4) Upon examination of an application received under sub-rule (1) or sub-rule (2), the public entity may:
 - (a) seek any clarifications or further documents as may be required, through the portal;
 - (b) grant the permission within sixty calendar days of receiving the application.
- (5) In the event the public entity has reason to reject the permission for right of way, it shall upload, within thirty calendar days from the date of receiving the application, such grounds and queries, if any, on the portal and provide the facility provider reasonable opportunity to respond to the same within fifteen calendar days through the portal.
- (6) The public entity may, after consideration of such response, if any, under sub-rule (5), reject the application for right of way if it determines that the responses furnished by the facility provider are not satisfactory, record the reason for the same on the portal within a period of fifteen calendar days from the date the facility provider had furnished its response under sub-rule (5).

- (7) If the public entity fails to either grant permission under sub-rule (4), or reject the application under sub-rule (5) and sub-rule (6), the permission shall be deemed to have been granted, and shall automatically be uploaded on the portal.
- (8) In cases of such deemed permissions under sub-rule (7), the public entity shall, within a period of seven calendar days of such deemed permission, specify the terms and conditions of such permission.
- (9) The public entity shall be entitled to receive such compensation from the facility provider, not exceeding the amount specified in Part-3 of the Schedule, for use of street furniture for installation of small cells and telecommunication line, as may be determined by the public entity.
- (10) The public entity shall also permit the deployment of small cells on buildings and structures or other public property under its ownership, control or management, and shall charge no administrative fees or compensation for such deployment, as specified in Part-3 of the Schedule:
Provided that charges shall be levied by the public entity in respect of power consumption and fixtures in respect of such small cells, as per actuals.
- (11) The facility provider shall, at the option of the public entity, either restore any damage done to the property during deployment of small cells, or pay compensation for any such damage on terms as may be mutually agreed.

CHAPTER 4: MISCELLANEOUS PROVISIONS APPLICABLE FOR OVERGROUND AND UNDERGROUND TELECOMMUNICATION NETWORK IN PUBLIC PROPERTY

12. Obligations of facility provider in undertaking work. –

Where a facility provider has been granted right of way in public property under rule 7 or rule 9, such facility provider shall ensure the:

- (a) payment of all amounts as specified under these rules, and adherence to the terms and conditions of the grant of permission from the public entity;
- (b) implementation of measures to mitigate public inconvenience and ensure public safety, including measures to ensure the structural safety of overground telecommunication network; and
- (c) provision of real time information of all underground telecommunication network established by such facility provider, through positional intelligence using appropriate technology. Such database containing real time information shall be shared with the public entity and the designated officer on demand, including as-built information for existing telecommunication networks.

13. Powers of public entity with respect to ongoing work. –

- (1) The public entity may monitor or inspect the execution of work by the facility provider to ascertain compliances with the conditions of the grant of permission.
- (2) The public entity may, on the basis of such monitoring and inspection, impose such other reasonable, relevant and evidence-based conditions as it may think fit, to be recorded in writing and after providing reasonable notice to the facility provider of the same through the portal.
- (3) If the facility provider does not make payments required to be made pursuant to the terms and conditions for grant of permission, the public entity shall have the right to terminate the permission so granted, after issuance of notice of not less than fifteen calendar days and if the said payments have not been made within such period through the portal.
- (4) If the public entity comes to the conclusion that the facility provider has wilfully violated any of the conditions for grant of permission, other than as specified under sub-rule (3), it may forfeit, in full or in part, the bank guarantee submitted by the facility provider and withdraw the permission granted to the facility provider, for reasons to be recorded in writing:

Provided that no action shall be taken under this sub-rule unless the facility provider has been given a reasonable opportunity of being heard through the portal.

CHAPTER 5: ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF TELECOMMUNICATION NETWORK IN PROPERTY OTHER THAN PUBLIC PROPERTY

14. Establishment of telecommunication network over property other than public property. –

- (1) Any facility provider desiring to enter any immovable property other than public property, for the purposes specified under section 12 of the Act, shall do so with prior consent and mutual agreement with the person who has ownership, control, or management over such property. Such agreement shall not be required to be registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908), pursuant to sub-clause (3) of section 14 of the Act.
- (2) An agreement under sub-rule (1) shall provide for matters relating to:
 - (a) time and manner of entry of the facility provider into the property, and advance notice, if any, to be provided for such entry;
 - (b) consideration to be payable by the facility provider;
 - (c) steps to be taken in the event of any damage to the property, including restoration of the property to its state as it existed prior to the undertaking of such activities, failing which, the facility provider shall pay compensation for such damage as may be mutually agreed; and
 - (d) specify other conditions including measures to mitigate any inconvenience and enhance safety, including structural safety, as well as measures relating to maintenance of the telecommunication network so established.
- (3) A public entity shall not levy any fees, charges or compensation for the establishment of telecommunication network over property other than public property.
- (4) In the case of establishment of mobile tower or pole over such property, the facility provider shall submit information in writing, in the form provided for this purpose on the portal, to the relevant public entity, along with details of the building or structure where the establishment of the mobile tower or pole is proposed, and a copy of certification by a structural engineer authorised by a public entity, attesting to the structural safety of the building or structure, where the mobile tower or pole is proposed to be established, prior to commencement of such establishment.

15. Manner of permitting the right of way by the Central Government in public interest.-

- (1) If a facility provider fails to reach an agreement with the person under sub-rule (1) of rule 14, it may submit a request through the portal, supported by relevant documents, to the District Collector or other designated officer as notified by the Central Government in this regard, within whose jurisdiction the property is situated, for a determination whether such right of way is necessary in the public interest.
- (2) Upon receipt of a request under sub-rule (1), the District Collector or other designated officer, as the case may be, shall within thirty calendar days, either
 - (a) reject the request for permission of right of way, or
 - (b) provide notice to the person having ownership, control or management over the relevant property, specifying the nature of right of way sought by the facility provider.
- (3) Any notice under sub-paragraph (b) of sub-clause (2) may be served on such person by a messenger handing over a copy thereof and obtaining his signature on another copy thereof.
- (4) In case the service of such notice is not reasonably possible under sub-rule (3), then, such notice shall be sent to the concerned person by registered post or speed post at his known residence and the delivery of such registered post or speed post to such person shall be the service on him of such notice and in case he refuses to receive such registered post or speed post, the remarks of such refusal by a post office official on the registered post or speed post shall be deemed to be the service on such person of such notice.
- (5) In case the service of such notice is not reasonably possible under sub-rules (3) and (4), then the contents of such notice shall be published in newspaper having circulation in the locality where the concerned person actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain and such publication shall be deemed to be the service of such notice on such person.
- (6) The person referred to in sub-rule (2), shall within fifteen calendar days of the notice being served under sub-rule (3), (4) or (5), as the case may be, respond in writing in the form provided for this purpose, as regards the concerns and objections to the right of way, or conditions subject to which right of way may be considered.
- (7) The District Collector or other designated officer, as the case may be, shall after taking into consideration

the application under sub-rule (1) and the responses under sub-rule (6), determine by order in writing, whether or not right of way for establishing the telecommunication network is to be permitted in public interest. Such determination shall not ordinarily exceed a period of sixty calendar days from the date of receipt of notice under sub-rule (1).

- (8) Where the order under sub-rule (7) grants permission for right of way, it shall also specify the terms and conditions for the same, including but not limited to:
- (a) the area over which the right of way is permitted and the nature of telecommunication network to be established;
 - (b) the charges payable by the facility provider and the time and manner of such payment;
 - (c) the obligations of the facility provider to restore and repair any damage to the property resulting from the establishment of the telecommunication network, or compensation to be payable in the event of failure to undertake such restoration or repair; and
 - (d) other conditions including the time and measures to mitigate any inconvenience, or measures to enhance public safety, the mode of execution of right of way, and maintenance of the telecommunication network so established.

CHAPTER 6: COMMON DUCT AND CABLE CORRIDOR

16. Terms and conditions for open access of common ducts and cable corridors.—

- (1) Where the Central Government has notified an infrastructure project or class of infrastructure projects under section 15 of the Act, the public entity having ownership or control or management over such project shall provide for an online application process to enable facility providers to make an application for the purpose of installation of telecommunication network through such common duct or conduit or cable corridor established in such project.
- (2) Any application under sub-rule (1) shall be accompanied by information including:
 - (a) a copy of the authorisation granted by the Central Government in respect of which the telecommunication network is required;
 - (b) details of the underground or overground telecommunication network proposed to be laid;
 - (c) details of any other matter relevant, in the opinion of the facility provider, connected with the work proposed to be undertaken; and
 - (d) details of any other matter connected with or related to the work as may be specified, through a general or special order, by the Central Government.
- (3) The public entity which is responsible for the infrastructure project or class of infrastructure projects, shall make available such common duct or conduit or cable corridor for the installation of telecommunication network, on a non-discriminatory and open access basis, subject to payment of charges, which shall be based on prevailing market rates and based on the principle of cost recovery over a minimum period of twenty five years:

Provided that such charges shall not exceed the amount as may be notified by the Central Government from time to time for such infrastructure project or class of infrastructure project.

CHAPTER 7: RIGHTS RELATING TO EXISTING TELECOMMUNICATION NETWORK

17. Right to seek removal, etc.—

- (1) Where any person having ownership or control or management over a property, considers that it is necessary and expedient and for a reasonable cause, to remove, relocate or alter the overground or underground telecommunication network that has been placed by a facility provider upon that property, it shall issue a notice to the facility provider, specifying the reasons for seeking removal, relocation or alteration of such telecommunication network.
- (2) On receipt of the notice under sub-rule (1), the facility provider shall, forthwith, and within a period of thirty calendar days, proceed to submit, to such person, a detailed plan for such removal, relocation or alteration, and the expense for such works.

- (3) The responsibility and liability, including the cost for removal, relocation or alteration of such telecommunication network shall be borne by the facility provider; provided however that the person making the application under sub-rule (1) shall defray such expenses from the compensation, if any, that such person may have received from the facility provider under sub-section (6) of section 11, or sub-section (4) of section 12 of the Act.
- (4) The facility provider shall ensure that any works relating to removal, relocation or alteration of such telecommunication network under this rule, shall be completed within a period of sixty calendar days from the date of the request under sub-rule (1).

18. Procedure for dealing in the exercise of any legal right with any property. —

- (1) Any person desiring to exercise legal right over his property in such a manner as is likely to cause damage to or interrupt or interfere with any overground or underground telecommunication network duly placed in accordance with the provisions of the Act, shall submit on the portal, a notice containing the information with respect to exercise of such legal right, which shall include the following details:
 - (a) name, address and relevant contact details of the person providing such notice;
 - (b) date and time of start, as well as description and location of the exercise of legal rights;
 - (c) the reasons why digging or excavation or other action required for the exercise of such person's rights, the likelihood of interference with the telecommunication network, and why action under rule 17 is not required;
 - (d) the presence of emergency, if any, that requires an expeditious response.
- (2) The relevant facility provider responsible for the operation and maintenance of the telecommunication network on such property, shall, on submission of notice by the person under sub-rule (1), provide through the portal, the details of telecommunication network falling under or over or along such property, as well as precautionary measures that are required to be implemented by the person undertaking the works, in order to avoid damage to the telecommunication network, within the following timelines:
 - (a) where any emergency has been notified under sub-rule (1) a period not exceeding twenty-four hours, or
 - (b) in all other situations, a period of seven calendar days from the date of submission of notice under sub-rule (1).
- (3) The person exercising legal rights under this rule, shall implement all precautionary measures as specified by the facility provider as per sub-rule (2).
- (4) In case no facility provider responds to the notice within the prescribed timelines under sub-rule (3), the person providing notice under sub-rule (1), shall undertake the exercise of legal rights with reasonable precautions with regard to the telecommunication networks that are likely to be impacted by the exercise of such rights.

CHAPTER 8: MISCELLANEOUS PROVISIONS

19. Applicable taxes, charges, fees etc.

Any charge payable under these rules shall be exclusive of taxes, fees or other charges as applicable under laws for the time being in force.

20. Recovery of amount due under these rules.

Without prejudice to other modes of recovery, any amount due under these rules to a public entity shall, if not paid, be recovered as an arrear of land revenue.

SCHEDULE

[See rules 6(3), 7(9)(b), 7(10)(b), 7(12), 8(3), 9(2)(b), 9(9), 9(10), 10(3), 11(3), 11(9), 11(10)]

| Rule | Item | Amount |
|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| Part-1: Fee for examining applications | | |
| 6(3) | Application fee for examining of the application for establishment of underground telecommunication network | One time charge of One thousand rupees per kilometer. |
| 8(3) | Application fee for examining of the application for establishment of overground telecommunication network | One time charge(s) as under: (i) Ten thousand rupees per tower for establishment of mobile towers (ii) One thousand rupees per kilometer for establishment of overground telecommunication line. (iii) Nil for establishment of poles, for installation of small cells and telecommunication line. |
| 11(3) | Application fee for examining of the application for usage of street furniture for installation of small cells and telecommunication line | Nil. |
| Part-2 Compensation for damage or bank guarantee for restoration | | |
| 7(9)(b) | Compensation for restoration of property to the state as it existed prior to the establishment of underground telecommunication network where undertaking to restore the property is not required by the public entity. | Sum required to restore public property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area. Such rate shall under no circumstances exceed the rate charged by central public works department or the public works department for its own work. |
| 7(10)(b) | Bank guarantee as security for performance in case of establishment of underground telecommunication network where undertaking is specified by the public entity for the facility provider to discharge the responsibility to restore the damages | 20% of the sum required to restore public property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area. |
| 9(9) | Compensation for restoration of property to the state as it existed prior to the establishment of overground telecommunication network. | Sum required to restore public property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area. Such rate should not be more than the rate charged by central public works department or the public works department for its own work. In case of overground telecommunication network, the facility provider shall restore the damage to the property incurred in case of establishment of poles for installation of small cells and telecommunication line. |
| Part-3 Compensation for right of way | | |
| 7(12) | Establishment of underground telecommunication network | Nil. |
| 9(2)(b) | Establishment of over ground telecommunication network | Where the establishment of the telecommunication network renders the public property unlikely to be used for any other purpose, compensation for the value of the public property, either once or annually, assessed on such rates as that public entity may, by general order, specify. |

| Rule | Item | Amount |
|-------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | Provided however, for establishment of poles for installation of small cells and telecommunication line compensation shall be nil. |
| 10(3) | Establishment of temporary over ground telecommunication network | Nil. |
| 11(9) | Usage of street furniture for installation of small cells and telecommunication line | (i) For installation of small cells: Three hundred rupees per annum for urban area and one hundred and fifty rupees per annum for rural areas per street furniture. (ii) For installation of telecommunication line: One hundred rupees per annum per street furniture. |
| 11(10) | For the deployment of small cells on building/ structures under the ownership, control or management of public entities. | Nil. |

[F. No. 24-01/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.